

६०

## राजस्थान सरकार

### सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

फलांक:-एफ 11/एससी एसटी लोबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सन्दर्भ/15.54/59 जयपुर दिनांक ०७/०९/२५

### जाति प्रमाण-पत्र - दिशा निर्देश

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. **जाति प्रमाण पत्र :-** जाति प्रमाण पत्र से तात्पर्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये समय-समय पर जारी किये गये गजट नोटिफिकेशन / अधिसूचनाओं में शामिल जातियों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राप्ति पर्याप्ति में जारी किये गये प्रमाण पत्र से है।
2. **जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला संघन प्राधिकारी :-** जाति प्रमाण पत्र उपराष्ट्र मणिस्ट्रोट द्वारा जारी किये जायेंगे।
3. **जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया :-**

(A) **आवेदक-**

(i) **राजस्थान राज्य का मूल निवासी :-** ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग का राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

(ii) अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर आये व्यक्तियों के संबंध में:- यदि आवेदक मूल रूप से राजस्थान राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य का निवासी है तथा माइग्रेट होकर शिला/रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहा है तथा घड़ी से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति की स्तंभान की राजस्थान राज्य में जन्म के अध्यार पर जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन हेतु पत्र होगी।

(B) **आवेदन पत्र का प्रारूप एवं संलग्न किये जाने वाले वस्तावेज :-**

(i) SC/ST हेतु आवेदन परिशिष्ट आ अनुसार

(ii) OBC/SBC हेतु आवेदन परिशिष्ट के अनुसार

संलग्न वस्तावेज सूची

(i) राशनकार्ड/ भवानाय सूची/ अबल सम्पति छे भालिकाना हक संबंधी दस्तावेज/ किशयोनामा / गैर कनेक्शन/ बिजली, पानी, टेलिफोन का बिल/ शिला प्रमाण-पत्र;

(ii) पिता की जाति का साक्ष देते प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो) मूरि की जाना चाही, आय प्रमाण-पत्र हेतु (जिनके पास आईटीआर एवं राज्य/ केन्द्रीय

(6)

अधिकारी/कर्मचारी की वेतन पत्र/वे स्लीप नहीं है तो निश्चिरित प्रमाण-पत्र से दो अलग-अलग राज्य केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी के हाथ जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें। आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज़ / गूल निवाल प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जाति का उल्लेख हो यदि उपलब्ध हो तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा।

(III) OBC/SBC के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों हाथ देय चाक्ष्य (परिशिष्ट-ब) अनुसार, उत्तर दायी व्यक्ति से आशय संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/संसद/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से है।

(IV) आवेदन पत्र में आवेदक के पास अधार नमूना/भासाशाह कार्ड होने की विधि में उक्त नमूने का अंकन किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नहीं है एवं उसके परिवार के मुखियों को जारी किये गये भासाशाह कार्ड में उसका नाम अंकित है तो मुखिया को जारी भासाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।

**(C) आवेदन जांच एवं आवेदन पत्र तथा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्राप्तक-**

(I) संघम अधिकारी हाथ अपने अधीनस्थ कार्यालय यथा पटवारी/निर्वाचक आदि से गृह मंत्रालय भारत सरकार हाथ जारी किये गये पत्रांक संलग्न BC.I2023/2/76-SCT.J.22 मार्च 1977 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-ब) आवेदक के पैतृक/स्वयं के राजस्व रिकार्ड आदि में उसके जाति का परीक्षण करवाया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो शैक्षणिक रिकार्ड/नागरपालिका/ग्राम पंचायत के रिकार्ड का भी जांच/परीक्षण किया जा सकेगा जिसमें उसके स्वयं/पैतृक जाति की पुष्टि होती हो। परीक्षण उपरान्त जाति प्रमाण पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी द्विभाषा में एक साथ ही जारी किया जायेगा।

(II) SC/ST एवं OBC/SBC हेतु प्रमाण पत्र का प्राप्तक प्रक्रम: परिशिष्ट ब 'ख' ग' अनुसार ही भान्य होगा।

(III) OBC/SBC के लिये जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्राप्तक उपरोक्त परिशिष्ट ख ब'ग' के अनुसार क्रिमीलेयर में जही होने संबंधी पैरा 3 को काटकर (Delete) कर जारी किया जायेगा।

(IV) मास्त सरकार में नियुक्तियों के लिये परिशिष्ट-घ अनुसार

**(D) जाति प्रमाण-पत्र की संशोधित पूर्व दोहरी प्रति :-** संघम प्राधिकारी हाथ निम्नानुसार परिशिर्तियों से दुबारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।

(I) प्रमाण-पत्र मुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate Copy) जारी की सकेगी।

(II) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।

(III) कालान्तर से आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए बांग करने पर नये फोटो युक्त नवीन प्रमाण-पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावेगा।

(IV) यदि जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाला संघम अधिकारी आवेदक के आवेदन को किसी कारण से खारिज/निरस्त करता है तथा आवेदक यह महसूस करता है कि उसका आवेदन

पत्र एवं उसके साथ समस्त संलग्न दस्तावेज़ सत्य है तब वह उक्त जाति प्रमाण-पत्र

मेरे जिला स्तरीय जाति प्रभाग-पत्र छानबीन एवं सर्वकर्ता समिति के अध्यक्ष को लिखित मेरे समस्त साक्षों सहित आवेदन कर सकेंग। जिला स्तरीय समिति उक्त आवेदन पत्र का गहनता से जांच/परीक्षण कर यदि समिति का यह निष्कर्ष रहता है कि आदेदक का आवेदन पत्र सही है तो वह संबंधित संकाम अधिकारी को नियमानुसार जाति प्रभाग-पत्र जारी करने हेतु निर्देश दे सकेंगी। एवं यदि आवेदन पत्र खासिय योग्य पाया जाता है तो उसे समिति द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा परन्तु निरस्त का आदेश कारणों सहित जारी किया जायेगा।

#### 4. जाति प्रभाग-पत्र की जीवन स्थिति :-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रभाग-पत्रों की अवधि जीवन पर्याप्त होगी जबकि OBC के लिये संबंधी प्रभाग-पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा परन्तु किसीलेयर मेरे नहीं होने संबंधी तथ्य को तीव्र वर्ष के विधि समस्त शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
2. किसीलेयर मेरे नहीं होने संबंधी प्रभाग-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किसीलेयर मेरे नहीं होने का प्रभाग-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी किसीलेयर मेरे नहीं है तो ऐसी स्थिति मे उससे सत्यापित शपथ-पत्र (परिशिष्ट-क) लेकर पूर्व मे जारी प्रभाग-पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकरण तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

#### 5. जाति प्रभाग-पत्रों का सत्यापन :-

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा दर्म/दिशेष पिछड़ा वर्ग के आदेदक को जाति प्रभाग-पत्र जारी होने के पश्चात यदि आदेदक द्वारा उक्त जाति प्रभाग-पत्र के अधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान मे प्रवेश लेने, किसी नियोक्ता के अधीन सेवा मे नियोजित होने या अन्य किसी प्रयोजन के लिए यदि उक्त जाति प्रभाग-पत्र के अधार पर कोई आत्मान/रियायत प्राप्त की गयी हो तो शैक्षणिक संस्थान, नियोक्ता या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त जाति प्रभाग-पत्र के सत्यापन करवाये जाने की स्थिति मे जिला कलकटर द्वारा उक्त जाति प्रभाग-पत्र का सत्यापन करवाया जाकर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को उनके पांचितानुसार भिजवायी जा सकेगी। उक्त सत्यापन रिपोर्ट ५ माह मेरे आदेशक रूप से नियमानुसार जानी आवश्यक होगी। यदि कोई प्रकाश सर्वकर्ता समिति एवं छानबीन समिति मे विधायाधीन है तथा उसमे अन्तिम निर्णय मे विलम्ब हो रहा हो तथा शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता के यहां पर निर्वाचित अंतिम तिथि निकल गयी हो तो शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता द्वारा अवश्यायी (MUSTVADHANAM) प्रवेश/नियुक्ति दी जाएगी तथा वह प्रवेश/नियुक्ति छानबीन समिति के निर्णय के आधार रहेगी।

#### 6. जिला स्तरीय जाति प्रभाग-पत्र छानबीन पर्व सर्वकर्ता समिति :-

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिशेष पिछड़ा दर्म के शंकाप्रसंद, छाड़ी /झूला जाति प्रभाग-पत्र जारी हो जाने की स्थिति मे एवं जाति प्रभाग-पत्र की दिक्कायत प्राप्त होने पर उक्त जाति प्रभाग-पत्र के परीक्षण/जांच हेतु प्रत्येक जिले मे एक जिला स्तरीय जाति प्रभाग-पत्र सर्वकर्ता समिति का प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.४(10)प्र०सु.०/अनु. ३/२०११ दिनांक 23.07.15 को गठन किया गया है। (परिशिष्ट-बी ) जो कि निम्न प्रकार से है :-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. जिला कलकटर   | उच्चायक |
| 2. अतिरिक्त जिला कलकटर (राजस्व)   | समन्वयक |
| 3. अतिरिक्त मुख्य कर्म्यकारी अधिकारी एवं<br>पदेन प्रभारी अधिकारी (माला), जिला परिषद | सदस्य   |
| 4. संबंधित उप जिला नियुक्ति/ उपसंघ अधिकारी  | सदस्य   |
| 5. जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग                                   | सदस्य   |

उपरोक्त समिति में द्वूरे फर्जी एवं शंकास्पद जाति प्रभाण-पत्रों के मामले दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रभाण-पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रभाण-पत्र की वैद्यता/अवैद्यता के संबंध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। तथा संबन्धित पत्रों को उक्त निर्णय से पंजीकृत लाल हार अविलम्ब सूचना दी जावेगी। परन्तु उक्त सूचना अधिकतम एक माह में दी जावेगी तथा नावालिंग की स्थिति में उसके माता-पिता/संरक्षक को तत्काल सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का अकाल किया जाना आवश्यक होगा। तथा निर्णय की सूचना शैक्षणिक संस्था/निषेद्धता को भी तत्काल दी जावेगी।

जाति प्रभाण-पत्र की सत्यता का परीक्षण करने के समय सम्बन्धित पत्रों यथा शिकायतकर्ता एवं जिसका जाति प्रभाण-पत्र है उसको अपना पत्र रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किया जावेगा एवं नावालिंग की स्थिति में उसके माता-पिता/संरक्षक को ऐसे नोटिस जारी किये जा सकेंगे।

#### 7. जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध राज्य स्तरीय छानबीन एवं सतर्कता समिति में अधीस :-

जाति प्रभाण-पत्र के संबंध में शिकायतकर्ता एवं वह पत्र जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से अंसुतष्ट होने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति में जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अधीस की जा सकेगी।

द्वूरे एवं शंकास्पद/फर्जी जाति प्रभाण-पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प ८(१०)प्र.सु.वि./अनु-३/२०११ जयपुर दिनांक १८.०३.२०११ (परिशिष्ट-ए) द्वारा निम्न प्रकार से राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, भागिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अवैद्यता
2. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सदस्य
3. शासन संधिय, जनजातिय विकास विभाग सदस्य

उक्त राज्य स्तरीय छानबीन समिति जिला स्तरीय जाति प्रभाण-पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति से प्राप्त निर्णय के विरुद्ध अधीस दायर होने पर युवितयुक्त समय में उक्त जाति प्रभाण-पत्र के संबंध में जिला स्तरीय समिति के निर्णय का परीक्षण करेंगी तथा आवश्यकता होने पर अपने स्तर पर पुनः संबन्धित प्रकरण यथा जाति प्रभाण-पत्र, प्रस्तुत किये गये साह्य/दस्तावेज एवं जिला स्तर पर की गयी जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर अपने स्तर पर निर्णय करेंगी। एवं राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अधिस है तो अधीस को राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। एवं जिला स्तरीय समिति का निर्णय अनुचित पाये जाने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा उक्त प्रभाण-पत्र के संबंध में उक्त आदेश जारी किया जा सकेगा जिसकी पालनाके लिये जाति प्रभाण-पत्र जारी करने वाला स्वाम प्राधिकारी वाय्य होगा एवं इस निर्णय को केवल माननीय उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकेगी। छानबीन समिति द्वारा पारित किए गये निर्णय को शैक्षणिक संस्था/निषेद्धता को तत्काल निर्णय से अवगत कराया जावेगा।

#### 8. शाप्त सतर्कता प्रक्रोच :-

जाति प्रभाण-पत्रों के संबंध में आवश्यक जींच पहलास करने वाले राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एक ११(१)/छान्स०/आरएण्डपी/सान्याअवि/१२/४०६० दिनांक ०५.०८.१४ द्वारा निम्न प्रकार से एक राज्य प्रक्रोच का गठन किया गया है। (परिशिष्ट-सी)

1. उपनिदेशक(पिजाम) मुख्यावास सान्याअवि जयपुर।
2. विधिविधिकारी / विधि सहायक मुख्यावास सान्याअवि जयपुर।

(64)

3. संबंधित समाज कल्याण अधिकारी
4. संबंधित समुक्त सासन सचिव/ उपसासन सचिव जनजातिय देशीय विभाग जयपुर।  
उपरोक्त प्रक्रोक्त छानदीन चानिति के निर्देशानुसार कार्य करेगा।
9. झूते जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में घट्टाघट कार्यालयी:  
किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जोर के पश्चात यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत तथ्यों / साहित्यों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उसके विरुद्ध आवश्यक रूप से कानूनी कार्यालयी की जा सकती। इसके अलावा जाति प्रमाण जारी करने वाले सभ्य अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा यदि निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों का उल्लंघन करके अवैध प्रमाण पत्र जारी किया है तो उन दोनों कार्यकर्ता / प्राधिकारियों के विरुद्ध भी आवश्यक रूप से कानूनी कार्यालयी की जावेगी।
10. रिकार्ड संवारेण –
- (i) जाति प्रमाण-पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि व्यक्ति के पूर्वजों एवं भावी पीढ़ी की पहचान का आधार ढोता है जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रत्येक तहसील कार्यालय में एक संकलित स्थायी रजिस्ट्रर का संचारण करते हुए उक्त समस्त रिकार्ड साफ-सुधरे एवं अच्छी भूमिका उन व्यक्तियों के उक्त रिकार्ड निरीक्षण के लिये सदैय सुपलब्ध करायाये जायेगा।
- (ii) रिकार्ड रखरखाव अधिकारी:
- (क) जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों का एक संकलित रजिस्ट्रर/ रिकार्ड संचारित किया जायेगा जो कि स्थायी रूप से जारीदार रहेगा।
- (ख) व्यक्तिगत जाति प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकार्ड में स्वीकृत जारी तथा उसकी रखरखाव की अवधि अनुनाद ३० वर्ष होगी।
11. ऑन लाईन आवेदन :- अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक द्वारा निर्धारित प्राप्तिय में समस्त दस्तावेजों सहित सम्पूर्ण राश्य में कार्यरत ई-मित्र जाने वाले सीएससी केन्द्रों (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं पिले में नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किये गए सीएससी केन्द्रों (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) के भावधार से जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जायेगा। सभी जाति प्रमाण पत्र पाल्य करकार द्वारा अधिसूचित नम्बर/ सामाजाह कार्ड होने की विधि से उक्त नम्बर का अंकन किया जाना ची आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नहीं है एवं उसके परिवार के मुखियों को जारी किये गये सामाजाह कार्ड में उसका नाम अंकित है तो मुखिया को जारी भामाजाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।
- उक्त दिशा-निर्देश तुरन्त प्रमाण से लागू होगे।

सलाहन:- उपरोक्तानुसार

20  
(सुदर्शन सेठी) 9.9.2015  
प्रमुख सासन सचिव

(65)

54160 - 290 जयपुर दिनांक 29/9/15  
क्रमांक:-एफ 11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/ सान्याशि/ 15/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है—

- 1) निजी सथित, माननीय नंत्री भद्रोदय राजस्थान सरकार जयपुर
- 2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 3) अध्यक्ष राजस्थ मण्डल राजस्थान ऊजमेर
- 4) समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 5) समस्त विधानसभा, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 6) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 7) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 8) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 9) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 10) समस्त समाजीय आयुक्त
- 11) समस्त जिला कलक्टर
- 12) समस्त जिला पुलिस अधिकारी
- 13) सचिव समस्त आयोग / बोर्ड
- 14) समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- 15) गम्भीर फाईल

M. 9.9.15  
(अधिकारी छुपार)  
निदेशक एवं सचिव शासन सचिव

(66)

## परिशिष्ट - अ

जाति प्रभाग पत्र हेतु आवेदन पत्र  
(अनुचूमित जाति/अनुचूमित जन जाति)

1. आवेदक सम्बद्धी आवश्यक सूचना (विकल्पिक विन्दु को / से चयन करें)

सॉर्ट फीस मटाय  
2/- रुपय

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का नामांकण कार्ड संख्या

1. प्राची का नाम\*

प्राची का घोटा

(प्राचीपर्ट नाम)

(अग्रिमांग करने साले उत्तरदाती व्यक्ति  
से फ्रेटी भत्ताप्रित कराये)

2. पिता का नाम\*

3. निवासी स्थान का पूर्ण पता\*

(क) वर्तमान पता :-

(ख) स्थाई पता :-

4. गौवि/शहर\*  ज़िल्हा/सिल्हा\*  जिला\*

5. जन्म दिनांक:  जन्म स्थान  उम्र

6. लिंग\*  पुल्लु  महिला पैवाइक विकासी\*  विवाहित  अविवाहित

7. धर्म (आवेदक)\*:  जाति\*:  अनुचूमित जाति/ जनजाति  उप जाति\*

8. धर्म (पिता का)\*  जाति\*:  उप जाति\*

9. प्राची ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है\*

10. क्या आप/आपका परिवार राजस्वान के मूल निवासी है\*  हाँ  नहीं

11. भोवाईल नम्बर  (जिस पर प्राची आवेदन से संबंधित एस.एस.एस. द्वारा  
मैं तसदीक करता/करती हूँ कि सपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विस्वास में सही है।

जन्म दिनांक:

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

(6)

### हल्का पटवार जीवं स्पोर्ट

श्रीमान् मुताबिल जाँच, गवाहों एवं भ्रष्ट पत्र के आधार पर आदेतक श्री/ श्रीमती/ कुमारी [ ]  
 पुत्र/पुत्री श्री [ ] निवासी [ ]  
 के/की है। यह अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [ ] का/की है।  
 प्रार्थी का राशन कार्ड नम्र [ ] दिनांक [ ]

हस्ताक्षर पटवारी  
हत्तका नं.

प्रमाण-पत्र

(i) गवाह\* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
 निवासी [ ]  
 विभाग का नाम [ ] पद [ ] पर  
 कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,  
 प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
 निवासी [ ]  
 को भली प्रकार से जानता हूं ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [ ]  
 का/की है, तथा उनके हास्रा संलग्न बयान मेरे समझ दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह\* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
 निवासी [ ]  
 विभाग का नाम [ ] पद [ ] पर  
 ऐ कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि,  
 प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
 निवासी [ ]  
 को भली प्रकार से जानता हूं ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [ ]  
 का/की है, तथा उनके हास्रा संलग्न बयान मेरे समझ दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(68)

**नोट :-** आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियों संलग्न करें :—  
 अधिकारी की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर लिप्त करना है) तथा उसे  
 अनिश्चय करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करायें।  
 आवेदन पत्र में दिये गये सभी पत्र को अनिश्चय करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करायें।  
 राजन कार्ड/सदस्यता सूची/अचल सम्बन्ध के नालिकलना हक सम्बन्धी/किशायामापा/गैर कनेक्शन/विज्ञानी/पत्नी/  
 टेलीफोन विल की प्रमाणित प्रति।  
 पिता की जारी के साथ हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), शूष्मि की जारीहोड़ी, मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण  
 पत्र/जिला प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति।  
 ये उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा— संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/सांसदीय अधिकारी—कर्मचारी/जिला  
 प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/मार्गपत्र/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर (साहिय)/मण्डल निवास सदस्य/नगर  
 पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हॉल मास्टर/सचिवित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के सॉफ्टर/डी.टी./सहायक अधिकारी

### शपथ—पत्र

मैं  पुत्र/पुत्री श्री   
 निवासी   
 गांव/साहर  तहसील  जिला

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :

- (1) मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति चर्ग की अधिकृत सूची में सन्मिलित जाति  का/की सदस्य हूँ।
- (2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साथ हेतु आवश्यक प्रमाण/साथ उपलब्ध कराने को हैंदार हूँ।
- (3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में मार्फेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
- (4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

उस्ताद शपथघिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि सूचना सं. 1 से 4 की उपर्युक्त विशिष्टियों मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और  
 विश्वास के अनुसार सही ए सत्य है, इस्तव गेता साधी है।

उस्ताद शपथघिता

(अनिश्चय करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों हारा  
अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्राप्तप

### जाति का प्रमाण पत्र

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का शासकाह कार्ड संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_  
 सुपुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ गाँव/नगर \_\_\_\_\_  
 जिला/डिलीजन \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_  
 जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के बनुसार जाति/अनुसूचित जाति जनजाति के समूह में शान्ता दी  
 गई है :-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1960

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संघियाँ (संशोधन) आदेश 1960, बमई पुनर्गठन अधिनियम 1960,  
 पंजाब बुर्गर्हन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन)  
 अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा  
 संशोधित )

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश  
 (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित  
 जनजाति आदेश 1960, संविधान (दावश तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दावश तथा  
 नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति, आदेश 1962, संविधान (पाढ़ेवेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान  
 (अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति  
 आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ट) अनुसूचित जन जाति आदेश 1970

मेरी/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ और उपर्युक्त उसी परिवार  
 गाँव/नगर \_\_\_\_\_ जिला/डिलीजन \_\_\_\_\_

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_ मे  
 शामान्यतया रहता है।

ठस्टावर \_\_\_\_\_

पट नाम \_\_\_\_\_

(कर्मात्मक की मुहर सहित)

स्थान \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र  
 तालिका \_\_\_\_\_

कृपया उन शब्दों को हटा दीजिये जो लागू नहीं हैं।

दिशेव ध्यान दें।

यहाँ प्रमुख हुए शामान्यतया सहसा है। शब्दों का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950  
 की धारा 20 में है।

(७०)

### परिणाम - क

राजस्थान सरकार द्वारा अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नीकरियों के आस्कन के लिये प्राप्ति ईमान-पत्र के लिये आवेदन का प्रक्रम।

(गोपयि, यह प्रारूप केवल मौड़ल के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त घटे स्थानीय विधियों की उपयुक्त के अनुसार प्राप्ति में समिस्त की जा सकती।)

प्राप्ति

---



---



---

महोदय,

मैं नियेदन करता हूँ कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिरियल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आस्कन के संबंध में प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाए।

मैं आवश्यक विविष्टियाँ नीचे दे रहा हूँ:-

आवेदक का आवार नम्बर			
आवेदक / परिवार के सुखिया का भासासाह कार्ड चाला			
1- आवेदक का पूरा नाम :			
(बढ़े जाने में)			
2- जन्म तिथि :			
3- निवास का पूर्ण पता :			
(क) वर्तमान			
(ख) स्थाई			
4- धर्म			
5- जाति			
6- उपजाति :			
7- उपजीविका - दर्ता			
8- अपि. की राज्य सूची में जाति का क्रम संख्याक्रम :			
9- पिता का नाम			
10- माता का नाम			
11- भती का नाम			
12- माता-पिता / पति की प्रानिधित्व पिता	माता	पति	
[क] संकेतानिक पद			
[ख] पद नाम			
[ग] सशक्ती सेवायें			
पिता	माता	पति	
(I) सेवा (केन्द्रीय / राज्य)			
(II) पद नाम			
(III) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।			

- (iv) पद पर नियुक्ति की तारीख
- (v) यह/पद पर पदोन्नति के समय  
आयु (यदि लागू न हो)
- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन उदाहरणात्मक संयुक्त  
राष्ट्र, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन
- (i) संगठन का नाम
- (ii) पद नाम
- (iii) सेवा की कालावधि  
(दिनांक ..... से ..... तक)
- (iii) मृत्यु/स्थाई अक्षमता (यदि लागू हो तो  
छोड़ दीजिए)
- (i) मृत्यु/अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अध्योग्य हो गया हो।
- (ii) स्थायी अक्षमता का व्यौत्ता
- (g) परिवक्त सेक्टर उपकरण आदि में नियोजन
- (i) संगठन का नाम
- (ii) पद का नाम
- (iii) पद पर नियुक्ति की तारीख
- (iv) पैरा फिलिटरी बलों को समिलित करते हुए सशस्त्र बल

(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति समिलित नहीं होंगे)

- (i) पद नाम
- (ii) वेतनमान
- (d) व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो पद संख्या (ख) और (ग) के आन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति।
- (i) सप-जीविका/वृत्ति
- (c) सम्पत्ति के स्वामी

(ख) कृषि जैसे (माता, पिता और अव्यक्त बच्चों के स्वामीत्व में)

- (2) अवस्थाएँ
- (2) जोत का आकार
- (3) क ~ सिंचित  
सिंचित मूमि का प्रकार
- 1.
  - 2.
  - 3.

72

(ख) असिंचित।

4. राज्य भूमि अधिकातम सीमा क्षेत्र विधियों के अधीन कानूनी अधिकातम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।
5. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो—राज्य भूमि अधिकातम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फर्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।
6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकातम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

(ग) बागान

1. फसल/फस
2. अवस्थिति
3. बागान का क्षेत्र

(घ) नगरीय क्षेत्रों या नगर बहस्ती ने रिक्त भूमि और/या भवन

1. सम्पत्ति की अवधिरक्षणी।
2. सम्पत्ति का व्यौत्त
3. उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

(ङ) आद/धन।

- (घ)
1. समस्त स्वतों से कृद्वय की वार्षिक आद (वेतनों और लूटी भूमि से आद को अपवर्जित करते हुए)
  2. कथा करवाता है (हाँ/नहीं) ( ) यदि हाँ तो गत तीन वर्षों की विकरणी की प्रति दी जावे।
  3. कथा धन कर अधिनियम के अनुरूप आता है (हाँ/नहीं) (यदि ऐसा है तो व्यौत्त बीजिए)

(छ) अन्य कोई अनुकूलिताएं।

मैं प्रभागित करता हूँ कि उपर्युक्त विविधीयों में सर्वोत्तम ज्ञान और विद्यास के अनुसार सत्य है और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की किसीसे पर का नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिए विद्यार किये जाने का प्राप्त हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के निवाया या गलत पाये जाने की रक्ता में या अपावृत्त का चयन बदलने पर, मैं समझता हूँ कि अनुकूल नियुक्ति रहीकरणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी सत्तारदायी होऊंगा जो विधि और या निवायों के संचालित की जायें।

भवदीय,

स्थान

दिनांक

अध्यार्थी के हस्ताक्षर

फॉटो

रजिस्ट्रेशन

दिनांक

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा  
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने  
के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवेदक का आवास नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भाषाशाह काड़ संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/ पुत्री \_\_\_\_\_ राजस्थान राज्य के जिला \_\_\_\_\_ में ग्राम/ नगर \_\_\_\_\_ की निवासी है तथा ये/ और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता/ करती/ करते हैं।
2. उक्त श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी/ एसजेइडी/ ०७/४७०३२ दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से \_\_\_\_\_ वर्ग/ जाति के/ की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ आवास हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्यिक (क-२) विभाग की अधिसूचना संख्या प/ ७(३)कार्यिक/ क-२/ 2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/ की नहीं है।

साक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर  
कार्यालय की ओहर/ सील सहित

\* (राज्य के पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आवास के प्रयोजनार्थ)

(74)

कोटी

रजिस्ट्रेशन

दिनांक :

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा  
किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के  
प्रमाण पत्र एवं प्रधन

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भागांश काउं संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/ पुत्री \_\_\_\_\_  
राजस्थान राज्य के जिला \_\_\_\_\_ में ग्राम/ नगर  
\_\_\_\_\_ की निवासी हैं तथा ये/ और या इनका कुटुम्ब यहां  
स्थाई रूप से निवास करता/ करती/ करते हैं।
2. उक्त श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ राज्य सरकार के सामाजिक  
न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एप्स  
पी/एसजेईडी/09/48855 दिनांक 26.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के विशेष  
पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में समिलित वर्गों में से  
\_\_\_\_\_ वर्ग/ जाति के/ की सदस्य है।
3. उक्त श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के  
किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या  
प/7(8)कार्मिक/ क-2/2008 दिनांक 26.8.2009 में चलोखित भेणियों के मापदण्ड के  
अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/ की नहीं है।

राज्य अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर  
कार्यालय की मोहर/ सील सहित

\* (राज्य के विशेष पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों  
और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

**THE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING  
FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

AADHAR NO OF APPLICANT	BHAMASHA CARD NO OF APPLICANT/HEAD OF FAMILY
------------------------	--

This is to certify that Shri/Smt/Kumari ..... son/daughter of ..... of village/ town ..... in District/Division ..... in the State/Union Territory ..... belong to the ..... community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of social justice and Empowerment's resolution no ..... dated.....\* Shri/Smt/Kumari ..... and/or his/her family ordinarily reside(s) in the ..... District/division of the ..... the State/Union Territory . This is also to certify that he/she does not belong to the person/section (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the scheduled to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 - Estt (SCT) dated 8.9.1993\*\*

District Magistrate  
Deputy Commissioner etc.

Dated:

Seal

\*The authority issuing the certificate may have to mention the detail of Resolution of Government of India , in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

\*\*As amended from time to time

NOTE :- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

८६

### रापथ-पत्र/बयान

अधेदक का आधार नम्बर

आधेदक/परिवार के मुखिया का भाषणशाह कार्ड संख्या

मेरे पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
 निवासी [ ]  
 गांव/शहर [ ] तहसील [ ] जिला [ ]

राजस्थान का/की हूँ। मेरे रापथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :

- (1) मेरे राजस्थान के पिछड़े दर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित दर्ग अन्य/विशेष पिछड़ा दर्ग की जाति [ ] का/की सदस्य हूँ।
- (2) मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.5.1993 के साथ सफाई अनुसूचित के स्तरम् ३ में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रीय या राज्य सेवाओं के समूह के दर्ग-१, समूह 'ख' दर्ग-२ के अधिकारी तथा भास्तीय स्थान/जल/वायु सेवा के कर्मसु के समान पदों पर नहीं हैं/नहीं थे।
- (3) मेरे माता/पिता सरकारी/निजी क्षेत्र में [ ] पद पर कार्यरत हैं/थे।
- (4) मेरे माता/पिता की समस्त स्त्रीतों से मासिक आय [ ] स्वयं हैं।
- (5) मेरे उपरोक्त प्रकरणों की सक्षम हेतु आवश्यक प्रभाग/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
- (6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माइग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
- (7) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रभाग पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर रापथग्रहिता

#### सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विविचिकाएं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े दर्गों की किसी तो दर्ग का हूँ/नहीं हूँ और अन्य पिछड़े दर्गों के लिए आवश्यक पदों के लिए विश्वास किये जाने का पात्र हूँ, चयन के पूर्व या शक्ति किसी भी सूचना के विषया या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थी/नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कर्मवाही के लिये और उत्तरदायी होऊँगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावें।

हस्ताक्षर रापथग्रहिता

(अभिशंख करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति को हस्ताक्षर)

परिरिक्षा— च

पिछड़ा वर्ग साक्षी द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति

(i) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  कार्यालय का नाम

पद  पर कार्यस्त हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि

प्राची/प्राचीय  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समझ दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  कार्यालय का नाम

पद  पर कार्यस्त हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि

प्राची/प्राचीय  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समझ दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)